डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश
जानकीपुरम विस्तार, सेक्टर – 11, सीतापुर रोड,लखनऊ–226031

पत्रांक संख्याः ए0के0टी0यू0 / नामांकन–35 / 2025 /5567 **दिनांकः** 04-01-2025

सेवा में,

निदेशक / प्राचार्य,
डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय,
लखनऊ से सम्बद्ध समस्त संस्थान।

विषयः सत्र 2024–25 में नव–प्रवेशित / प्री–रजिस्ट्रेशन किये गये छात्र / छात्राओं के नामांकन एवं परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय की ई0आर0पी0 के माध्यम से भरवाए जाने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–ए0के0टी0यू0 / नामांकन–35 / 2023 / 5353, दिनांक–17 दिसम्बर, 2024 एवं पत्र संख्या 5417 दिनांक–24 दिसम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से शैक्षिक सत्र–2024–25 में संस्थान में नवप्रवेशित छात्र–छात्राओं का नामांकन फार्म एवं परीक्षा फार्म समर्थ पोर्टल के माध्यम से निर्धारित तिथि के अन्दर करवाये जाने के निर्देश दिये गये थे। सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदनोपरान्त मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शैक्षिक सत्र–2024–25 में संस्थान में नवप्रवेशित छात्र–छात्राओं का नामांकन फार्म एवं परीक्षा फार्म समर्थ पोर्टल के स्थान पर विश्वविद्यालय के ई0आर0पी0 पोर्टल के माध्यम से भरवाये जायेंगे, जिसकी प्रकिया निम्नवत् हैः–

क0सं0	प्रकिया	तिथि
1.	नामांकन फार्म एवं परीक्षा फार्म भरने की प्रारम्भ तिथि	10 जनवरी, 2025
2.	नामांकन फार्म एवं परीक्षा फार्म भरने की अन्तिम तिथि	25 जनवरी, 2025

नामांकन प्रकिया के समय छात्र / छात्राओं द्वारा जमा किये जाने वाले परीक्षा शुल्क का विवरण निम्नानुसार हैः–

क0सं0		परीक्षा शुल्क
1	स्नातक, एम0बी0ए0, एम0सी0ए0 एवं एम0टेक0 एन्ट्रीग्रेटेड	7500 / –

संबंधित छात्र / छात्राओं द्वारा विश्वविद्यालय के ई0आर0पी0 पोर्टल पर नामांकन हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्रों को अपलोड तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा करना होगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि नामांकन की इस प्रकिया में आप अनिवार्य रूप से सुनिश्चित हो लें, कि छात्र / छात्राओं द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता जो उत्तर प्रदेश शासन एवं प्राविधिक शिक्षा के नियामक संगठन (ए0आई0सी0टी0ई0,पी0सी0आई0,सी0ओ0ए0) द्वारा निर्धारित है, शैक्षिक अर्हता में विसंगतियाँ या अनिवार्य शैक्षिक प्रवेश योग्यता न धारण करन या किसी अभिलेख की कूट रचना की स्थित में नामांकन स्वतः निरस्त हो जायेगा। यदि सत्यापन की प्रकिया में ऐसा पाया जाता है कि संस्थान विशेष द्वारा योग्यता की विसंगतियों या कूट रचना में कोई सहयोग या समर्थन रहा है तो संस्थान एवं छात्र / छात्राओं के विरूद्ध कार्यवाही की बाध्यता होगी, जिसके लिए संस्थान एवं छात्र / छात्रायें स्वयं जिम्मेदार होंगे।

भवदीय

(केशव सिंह)
का0 कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांकः तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वित्त अधिकारी, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
2. परीक्षा नियंत्रक, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
3. उप कुलसचिव / सहायक कुलसचिव(नामांकन), ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
4. प्रभारी ई0आर0पी0, ए0के0टी0यू0।
5. स्टॉफ आफिसर, कुलपति कार्यालय, मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।

(केशव सिंह)
का0 कुलसचिव